



जालौन पुलिस



Operation Conviction

गैर इरादतन हत्या के अभियोग में 01 अभियुक्त 07 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित ।

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक महोदय, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे अभियान “**OPERATION CONVICTION**” के अन्तर्गत अपर पुलिस महानिदेशक महोदय, कानपुर जोन, कानपुर श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ द्वारा प्रारंभ की गई **पैरवी अधिकारी स्कीम** के अंतर्गत जालौन पुलिस टीम की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय (एडीजे प्रथम कोर्ट उरई) जनपद जालौन द्वारा 01 अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा एवं जुर्माने से दण्डित किया गया ।

कोतवाली कालपी पर पंजीकृत **मु0अ0सं0 143/20 धारा 304 भादवि के** अभियुक्त करन सिंह पुत्र सुखराम निवासी ग्राम हरकूपुर थाना कोतवाली कालपी जनपद जालौन को माननीय न्यायालय (एडीजे प्रथम कोर्ट उरई) जनपद जालौन द्वारा **07 वर्ष के कारावास एवं 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है** ।



श्री हृदेश पाण्डेय
अभियोजन अधिकारी



श्री परमहंस तिवारी
प्रभारी मॉनिटरिंग सेल



हे0का0 महेन्द्र प्रताप
कोर्ट मुहरिर्